संख्या–629/VI/2005–58 (पर्य0)2004

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन,पटेलनगर,
देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 22 जून, 2005

पर्यटन अनुभागः

विषयः– वन अधिनियम–1980 के अन्तर्गत वन भूमि की वानिकी कार्यो के लिये प्रत्यावर्तन के तहत एन0पी0 वी0 की धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या–527A/XXVII(I)/2005,दिनांक 26 अप्रैल2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में भूमि अध्याप्ति/क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख(रूपये पचास लाख मात्र) व्यय करने हेतु निदेशक पर्यटन निदेशालय के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि नितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। ऐसा व्यय सम्बंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक हैं। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा रही है कि उक्त निर्माण हेतु वन विभाग की अनुमति प्राप्त करते हुये उसकी पूरी कार्य योजना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है,स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है,मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नही होगा।

6– वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। वन विभाग को धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त इसकी सूचना शासन को दी जायेगी।

NIC -294

9– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–19–भूमि अध्याप्ति/क्रय–पर्यटक आवास गृहों/पर्यटन विकास योजनाओं के लिये–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0–562/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 10 जून, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किया जा रहें है।

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

संख्या– /VI/2005–58 (पर्य0)2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी,सहारनपुर रोड,देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
3– श्री एल0एम0पंत,अपर सचिव,वित्त विभाग,उत्तरांचल शासन।
4– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव,मा0 पर्यटन मंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
7– वित्त अनुभाग–3
8– नियोजन अनुभाग।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

220605009.pdf